इसे वेबसाइट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 500] भोपाल, गुरुवार, दिनांक 6 दिसम्बर 2012—अग्रहायण 15, शक 1934

विधान सभा सचिवालय, मध्यप्रदेश

भोपाल, दिनांक 6 दिसम्बर 2012

क्र. 24855-वि.स.-विधान-2012.—मध्यप्रदेश विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियम 64 के उपबंधों के पालन में मध्यप्रदेश अधिवक्ता कल्याण निधि (संशोधन) विधेयक, 2012 (क्रमांक 31 सन् 2012) जो विधान सभा में दिनांक 6 दिसम्बर, 2012 को पुर:स्थापित हुआ है. जनसाधारण की सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है.

राजकुमार पांडे
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

मध्यप्रदेश विधेयक

क्रमांक ३१ सन् २०१२

मध्यप्रदेश अधिवक्ता कल्याण निधि (संशोधन) विधेयक, २०१२.

मध्यप्रदेश अधिवक्ता कल्याण निधि अधिनियम, १९८२ को और संशोधित करने हेतु विधेयक.

भारत गणराज्य के तिरसठवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम. १. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश अधिवक्ता कल्याण निधि (संशोधन) अधिनियम, २०१२ है.

धारा १८ का संशोधन. २. मध्यप्रदेश अधिवक्ता कल्याण निधि अधिनियम, १९८२ (क्रमांक ९ सन् १९८२) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है) की धारा १८ में, उपधारा (१) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा स्थापित की जाए, अर्थात् :—

"(१) राज्य सरकार, मध्यप्रदेश विधिज्ञ परिषद् द्वारा की गई अध्यपेक्षा पर, ऐसे प्ररूप में और ऐसी रीति में, जैसा कि विधिज्ञ परिषद् के परामर्श से विहित किया जाए, बीस रुपए और पचास रुपए मूल्य के आसंजक स्टाम्प, जिन पर शब्द "मध्यप्रदेश अधिवक्ता कल्याण निधि स्टाम्प" अंकित होंगे, मुद्रित करेगी या मुद्रित करवाएगी और उनका वितरण और विक्रय हेतु विधिज्ञ परिषद् को प्रदाय १० प्रतिशत कमीशन के आधार पर किया जाएगा.".

धारा १९ का संशोधन. ३. मूल अधिनियम की धारा १९ में,—

(एक) उपधारा (१) में, शब्द "दस रुपये" के स्थान पर, शब्द "बीस रुपए" स्थापित किए जाएं;

(दो) उपधारा (२) में, शब्द "बीस रुपये" के स्थान पर, शब्द "पचास रुपए" स्थापित किए जाएं.

उद्देश्यों और कारणों का कथन

वर्तमान में उच्च न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालयों में फाइल किए जाने वाले उपसंजाति ज्ञापन पर क्रमश: २० रुपए और १० रुपए मूल्य के अधिवक्ता कल्याण निधि स्टाम्प लगाए जा रहे हैं.

२. इन स्टाम्पों के विक्रय से प्राप्त होने वाले राजस्व का उपयोग अधिवक्ताओं के लिए चलाई जा रहीं कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में किया जाता है. अत्यधिक मुद्रास्फीति के कारण, मध्यप्रदेश अधिवक्ता कल्याण निधि अधिनियम, १९८२ (क्रमांक ९ सन् १९८२) के अधीन चलाई जा रहीं कल्याणकारी योजनाएं गंभीर रूप से प्रभावित हुईं हैं. अतएव, मूल अधिनियम के अधीन लगाए जाने वाले स्टाम्पों का मूल्य बढ़ाकर उच्च न्यायालय में २० रुपये से ५० रुपए तथा अधीनस्थ न्यायालयों तथा अन्य प्राधिकरणों/अधिकरणों में १० रुपए से २० रुपए किया जाना प्रस्तावित है. अत: मूल अधिनियम की धारा १८ और १९ में समुचित संशोधन प्रस्तावित हैं.

३. अत: यह विधेयक प्रस्तुत है.

भोपाल :
तारीख २७ नवम्बर, २०१२.

डॉ. नरोत्तम मिश्रा
भारसाधक सदस्य.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2012.

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 506] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 7 दिसम्बर 2012—अग्रहायण 16, शक 1934

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 7 दिसम्बर 2012

क्र. 7544-363-इक्कीस-अ(प्रा.).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, मध्यप्रदेश अधिवक्ता कल्याण निधि (संशोधन) विधेयक, 2012 (क्रमांक 31 सन् 2012) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश यादव, अपर सचिव.

MADHYA PRADESH BILL
No. 31 of 2012.

THE MADHYA PRADESH ADHIVAKTA KALYAN NIDHI (SANSHODHAN) VIDHEYAK, 2012.

A Bill further to amend the Madhya Pradesh Adhivakta Kalyan Nidhi Adhiniyam, 1982.

Be it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the Sixty-third year of the Republic of India as follows :—

Short title.

1. This Act may be called Madhya Pradesh Adhivakta Kalyan Nidhi (Sanshodhan) Adhiniyam, 2012.

Amendment of Section 18.

2. In Section 18 of the Madhya Pradesh Adhivakta Kalyan Nidhi Adhiniyam, 1982 (No.9 of 1982) (hereinafter referred to as the principal Act), for sub-section (1), the following sub-section shall be substituted, namely:—

"(1) The State Government shall, on the requisition made by the Bar Council of Madhya Pradesh, print or cause to be printed in such form and in such manner as may be prescribed in consultation with the Bar Council, adhesive stamps bearing the words "Madhya Pradesh Adhivakta Kalyan Nidhi Stamp" of the value of twenty rupees and fifty rupees for being supplied to the Bar Council for distribution and sale on 10 percent commission basis.".

Amendment of Section 19.

3. In Section 19 of the principal Act,—

(i) in sub-section (1), for the words "ten rupees", the words "twenty rupees" shall be substituted;

(ii) in sub-section (2), for the words "twenty rupees", the words "fifty rupees" shall be substituted.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

At present Adhivakta Kalyan Nidhi stamps worth Rs. 20 and Rs. 10 are being affixed in the memo of appearance filed before the High Court and subordinate courts respectively.

2. The revenue received from the sale of these stamps are utilized for the implementation of welfare schemes of the Advocates. Due to high inflation the welfare schemes run under the Madhya Pradesh Adhivakta Kalyan Nidhi Adhiniyam, 1982 (No. 9 of 1982) are seriously affected. Hence it is proposed to increase the value of the stamp affixed under the principal Act from Rs. 20 to Rs. 50 in the High Court and Rs. 10 to Rs. 20 in the subordinate courts and in other authorities /Tribunals. Therefore suitable amendments are proposed in Section 18 and 19 of the principal Act.

3. Hence this Bill.

BHOPAL :
DATED the 27th November, 2012.

DR. NAROTTAM MISHRA
Member-in-Charge.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2012.